

RNI Reference No.: 1277203

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
पश्चिमी ब्लॉक 8, विंग नंबर 2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली (West Block-8, Wing No.2 R.K.Puram, New Delhi-110066)

Title Code:-MAHMUL03394

सत्यापित दिनांक Verification Date : 20/8/2015

To. ADDL. DISTRICT MAGISTRATE (ADM)

जिला District: NAGPUR

राज्य State: महाराष्ट्र MAHARASHTRA

विषय: समाचार पत्र शीर्षक Sub: Newspaper Title JAI HO INDIA SACH KI AWAZ

भाषा Language: हिन्दी मराठी तेलुगू HINDI MARATHI TELUGU

के नाम अनुमोदित Approved in favour of Shri/Smt./Miss

में प्रकाशन हेतु Proposed to be published from City/District

संदर्भ आपका पत्र पृष्ठांकन सं Reference: Your Letter/Endorsement No

नमोदय Sir,

आवधिकता Periodicity: साप्ताहिक WEEKLY

RAMESH LAXMAN RUDRARAF

NAGPUR

97 31 7 2015

1. इस शीर्षक का सत्यापन प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 कि धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अतः आप अधिनियम कि धारा 5 के अनुसार प्रकाशक मुद्रक के घोषणापत्र को अधिप्रमाणित कर के आगे की कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को भेज सकते हैं। घोषणापत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संदर्भ संख्या, प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पूर्ण नाम एवं मोहर स्पष्ट होनी चाहिए। आर.एन.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड पत्र को स्कैन किये गये हस्ताक्षर के साथ, घोषणापत्र दाखिल करने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। घोषणापत्र का प्रपत्र (फार्म-1) आर.एन.आई. की वेबसाइट www.mi.nic.in पर उपलब्ध है।

This title has been verified in terms of the provision to Section 6 of the PRB ACT 1867. You may, therefore, authenticate the declaration of the publisher/printer, as per section 5 of the Act and forward the same to this office for further action. Each page of the declaration should be authenticated clearly with reference number, signature, full name and seal of the authenticating authority. This title verification letter with scanned signature, downloaded from RNI website may be accepted as a valid document for authenticating declaration. This performa (FORM-I) of declaration is available on RNI website www.rni.nic.in

घोषणापत्र को अधिप्रमाणित करते समय आप का ध्यान निम्न कि ओर आकर्षित किया जाता है:-
Your attention is invited to the following while authenticating the declaration:

(क) प्रकाशक एवं मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति होने की स्थिति में उनके द्वारा अलग-अलग घोषणापत्र दाखिल करना जरूरी है।
Where the publisher and printer are not the same, separate declarations from printer and publisher shall be necessary.
(ख) यदि प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन स्थल से अलग किसी अन्य जिले में स्थित है तो उस जिले से भी अलग मुद्रक द्वारा घोषणापत्र दाखिल करना होगा।
(प्रिंटर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका उल्लेख घोषणापत्र के कालम 7 में प्रिंटर के रूप में किया गया है न वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कि प्रिंटिंग प्रेस का रक्षक है।)

If printing press is in a district other than the place of publication, separate declaration by printer is required from the district having printing press. (Printer here means person mentioned as printer in column 7 of declaration and does not mean keeper of the printing press under section 4 of the Act).

(ग) जहां प्रकाशक तथा अथवा प्रिंटर स्वामी नहीं है ऐसी स्थिति में घोषणापत्र के साथ उस व्यक्ति को प्रकाशक तथा/अथवा प्रिंटर के रूप में घोषणापत्र दाखिल करने के लिए स्वामी दाखिल करने के लिए स्वामी द्वारा एक अनुमति पत्र दिया जाना अनिवार्य है [अधिनियम की धारा 5(2 बी)]।
Where the publisher and/or printer are not the owner, the declaration shall be accompanied by an authorization letter from the owner authorizing the person as publisher and/or printer to file declaration (section 5(2B) of Act).

(घ) सप्ताह में एक बार अथवा उससे कम आवधिकता वाले प्रकाशनों के मामलों के घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के 6 सप्ताह के भीतर तथा अधिक आवधिकताओं वाले प्रकाशनों के मामलों में अधिप्रमाणन के 3 महीने के भीतर यदि प्रकाशन शुरू नहीं किया जाता है तो प्रकाशन के संबंध में किया गया घोषणापत्र अमान्य हो जायेगा [अधिनियम की धारा 5(5)]।
A declaration made in respect of the publication shall be void if the publication does not commence within 6 weeks from the date of authentication of declaration in case of publication to be published once a week or of lesser periodicity and within 3 months of authentication of declaration in case of publications with higher periodicities (section 5(5) of Act).

2. घोषणापत्र के अधिप्रमाण के बाद प्रकाशक को वर्ष 1 अंक 1 का प्रकाशन तथा घोषणापत्र में यथा उल्लिखित प्रेस से मुद्रण कराना होगा।

प्रकाशन के बाद प्रकाशक को वर्ष 1 अंक 1 का प्रकाशन तथा घोषणापत्र में यथा उल्लिखित प्रेस से मुद्रण कराना होगा।